(2)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 51/2019 (Bank Case)

आई.सी.आई.सी. आई. बैंक लिमिटेड

– प्रार्थी बैंक.

बनाम

1. श्री मोहम्मद आरिफ रीजवी पिता श्री मोहम्मद कासिम गिरजा घर की गली, ब्रजराजपुरा कोटा
2. श्री मोहम्मद आरिफ रीजवी पिता श्री मोहम्मद कासिम दुकान नं.–पी बी–134, साई बाबा फुट सब्जी मंडी, कोटा, जिला–कोटा (राज0)
3. श्री मोहम्मद कासिम गिरजा घर की गली, ब्रजराजपुरा, कोटा जिला–कोटा (राज.)

– (अप्रार्थी, ऋणी व बंधककर्ता)

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज0)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 (1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

उपस्थित

1. श्री ब्रजराज कुमार मंत्री, अधिवक्ता, बैंक की ओर से

निर्णय

दिनांक: 14.05.2019

प्रार्थी आई.सी.आई.सी. आई. बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय 2 सी–मधुबनी, मधुबन, उदयपुर–313001 से अप्राथीगर्ण ने दिनांक 18.10.2007 को 5,75,000/– (अक्षरेः रूपये पांच लाख, पिच्चहतर हजार मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री मोहम्मद आरिफ राजवी पिता श्री मोहम्मद कासिम के नाम भूमि एवं निर्माण व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. पी बी–134 जिसका क्षैत्रफल 348 वर्गफीट है जो कि साई बाबा फुट सब्जी मंडी, कोटा में स्थित है । जिसका रजिस्टर्ड पट्टा विलेख दिनांक 24.12.2005 से कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सम्पादित है ।** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण का खाता संख्या (LBKOT00001648977) को दिनांक 31.5.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 6,18,855/– रूपये (अक्षरे रूपये छः लाख अठ्ठारह हजार आठ सौ पचपन मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.08.2017 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 05.09.2017 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के** बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

(3)

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 05.09.2017 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के** बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 05.09.2017 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के** पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । **अचल सम्पत्ति श्री मोहम्मद आरिफ राजवी पिता श्री मोहम्मद कासिम के नाम भूमि एवं निर्माण व्यवसायिक संपत्ति दुकान नं. पी बी–134 जिसका क्षैत्रफल 348 वर्गफीट है जो कि साई बाबा फुट सब्जी मंडी, कोटा में स्थित है । जिसका रजिस्टर्ड पट्टा विलेख दिनांक 24.12.2005 से कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सम्पादित है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner